क्रम संख्या–108 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 12 नवम्बर, 2025 ई0

कार्तिक 21, 1947 शक सम्वत्

राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड

सं0–3136 / रा0नि0आ0–3 / 4364 / 2025

देहरादून, 12 नवम्बर, 2025

आदेश

नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024–25 में प्रतिभाग करने वाले निम्न तालिका में उल्लिखित उम्मीदवार, राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" के प्राविधानानुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर अपना निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने के फलस्वरूप संबंधित उम्मीदवारों को कॉलम–6 में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस प्रेषित किये गये जिनके माध्यम से अपेक्षा की गयी कि नोटिस की प्राप्ति के 20 दिन के भीतर निर्वाचन लड़ने से संबंधित पद का निर्वाचन व्यय का पूरा लेखा/लिखित आवेदन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), चम्पावत को प्रस्तुत/प्रेषित करेंगे। उम्मीदवारों को आयोग द्वारा प्रेषित नोटिस का विवरण निम्नानुसार है:–

निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने में असफल उम्मीदवारों का विवरण

क्र0 स0	निकाय का नाम	उम्मीदवार का नाम	पद	उम्मीदवार का पता एवं वार्ड संख्या	आयोग द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	नगर पालिका परिषद्, टनकपुर	विनोद सिंह,	अध्यक्ष	हाउस–382 सी, चंद पैट्रोल पम्प, नगर पालिका परिषद्, टनकपुर चम्पावत।	संख्या–356 दिनांक 28.04.2025
2.		नासिर हुसैन,	अध्यक्ष	वार्ड नं0–8 मेन मार्केट, टनकपुर, नगर पालिका परिषद्, टनकपुर चम्पावत।	संख्या–355 दिनांक 28.04.2025
3.		बरखा निषाद	सदस्य	वार्ड–09 घसियारा मण्डी, नगर पालिका परिषद्, टनकपुर जनपद–चम्पावत।	संख्या–365 दिनांक 28.04.2025
4.		कुसुम विश्वकर्मा,	सदस्य	वार्ड–06 कर्मचारी कालौनी, नगर पालिका परिषद्, टनकपुर चम्पावत।	संख्या–361 दिनांक 28.04.2025
5.		जया देवी,	सदस्य	वार्ड–09 घसियारा मण्डी, नगर पालिका परिषद्, टनकपुर जनपद–चम्पावत।	संख्या–364 दिनांक 28.04.2025

6.		नवीन चन्द्र पन्त,	सदस्य	वार्ड–02 मस्जिद एरिया, नगर पालिका परिषद्, टनकपुर जनपद–चम्पावत।	संख्या–359 दिनांक 28.04.2025
7.		आनन्द कुमार,	सदस्य	वार्ड–03 वर्मा लाईन नगर पालिका परिषद्, टनकपुर जनपद–चम्पावत।	संख्या–360 दिनांक 28.04.2025
8.		मुकेश शाहू,	सदस्य	वार्ड–01 पुराना तहसील एरिया, नगर पालिका परिषद्, टनकपुर चम्पावत	संख्या–359 दिनांक 28.04.2025
9.	नगर पंचायत, बनबसा	मिन्टू कुमार	अध्यक्ष	वार्ड–4 मुख्य बाजार, नगर पंचायत–बनबसा, जनपद चम्पावत	संख्या–345 दिनांक 28.04.2025
10.		प्रेम सिंह रावत	सदस्य	02 इन्द्रा कालोनी वार्ड, नगर पंचायत–बनबसा, जनपद–चम्पावत।	संख्या–346 दिनांक 28.04.2025
11.		शनि कश्यप	सदस्य	03 चन्द मार्केट वार्ड, नगर पंचायत–बनबसा,जनपद–चम्पावत।	संख्या–347 दिनांक 28.04.2025
12.		आयुष वर्मा,	सदस्य	04 मेन बाजार वार्ड, नगर पंचायत–बनबसा, जनपद–चम्पावत।	संख्या–348 दिनांक 28.04.2025
13.		दिनेश चन्द्र	सदस्य	04 मेन बाजार वार्ड, नगर पंचायत–बनबसा, जनपद–चम्पावत।	संख्या–349 दिनांक 28.04.2025
14.		देव कुमारी	सदस्य	06–मीना बाजार वार्ड, नगर पंचायत–बनबसा, जनपद–चम्पावत।	संख्या–350 दिनांक 28.04.2025
15.		शिवानी कश्यप,	सदस्य	06–मीना बाजार वार्ड, नगर पंचायत–बनबसा, जनपद–चम्पावत।	संख्या–351 दिनांक 28.04.2025
16.		पवन कुमार,	सदस्य	07–धर्मशाला वार्ड, नगर पंचायत–बनबसा, जनपद चम्पावत।	संख्या–352 दिनांक 28.04.2025

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित समस्त उम्मीदवारों को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के उपरान्त भी संबंधित उम्मीदवारों द्वारा नियत समय तक निर्वाचन व्यय लेखा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), चम्पावत को प्रस्तुत/प्रेषित नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 13–छ के खण्ड (थ) तथा राज्य निर्वाचन आयोग के "अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024" संख्या–1389/रा0नि0आ0–3/2763/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 द्वारा नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण अथवा न्यायिक औचित्य नहीं होने पर आदेश के दिनांक से तीन (03) वर्ष के लिए अनर्ह घोषित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अतः आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आयोग के उक्त आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2024 के प्रस्तर–6 (8) में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं इस संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (ना0नि0), चम्पावत से प्राप्त संस्तुति/सहमति के आधार पर उक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्ति/उम्मीदवारों को नागर स्थानीय निकाय के निर्वाचन में प्रतिभाग करने हेतु इस आदेश के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष के लिए एतद्द्वारा अनर्ह घोषित किया जाता है।

सुशील कुमार,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 49/निर्वा0/475–2025–100+10 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।